COURT FEE 5 Rs भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

CANCELLED

82

2

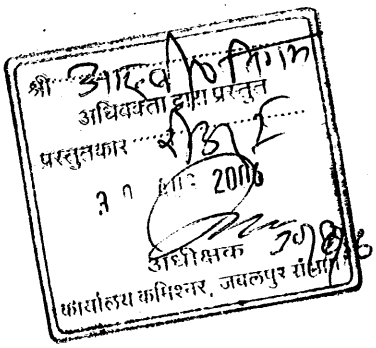

समक्ष : न्यायालय राजस्व मण्डल , ग्वालियर बोर्ड , बैंच जबलपुर,

रा.प्र.क्र. 1488 - I - /07

झुलैयां ब/द सरमन जाति बसोर, उम्र लग0 57 वर्ष,
ग्राम कोटवार ग्राम धनपुरा, तह. व जिला-
कटनी

---- आवे. पुनर्विलोकनकर्ता

// विरूद्ध //

राम दास बल्द धन्ना, बसोर, उम्र लग. 35 वर्ष,
निवासी ग्राम धनपुरा, न.- 1 तह.व जिला- कटनी

-------- अनावेदक

1546

श्री आदर्श ... अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार ...
30 ... 2006
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

क्रमांक 2648 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 31-8-07 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनर्विलोकन आवेदन अन्तर्गत धारा- 51 म.प्र.भू.रा. संहिता-1959

माननीय सदस्य श्री जी. सिंघई सदस्य न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर द्वारा बोर्ड की जबलपुर बैंच के माध्यम से अपील प्र.क्र. अ893-4/03 झुलैयां विरूद्ध राम दास में पारित आदेश दिनांक 06/8/05 से पीड़ित होकर यह पुनर्विलोकन प्रकरण के निम्न वर्णित तथ्यों एवं ~~अपील~~ पुनर्विलोकन के आधार ~~को~~ पर निम्न प्रकार सविनय प्रेषित है :-

// प्रकरण के तथ्य //

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि इस आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय अपर आयुक्त, संभाग जबलपुर द्वारा झुलैयां विरूद्ध राम दास, कि राजस्व अपी.क्र. 41/अ-5/98-99 में पारित आदेश दिनांक 21/3/03 के विरूद्ध माननीय न्याया. के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जो विधिवत अपील प्रकरण क्रमांक अ893-4/2003 पंजी बद्ध की जाकर विरूद्ध पक्ष को सूचना दी जाकर उभय पक्षों को सुना जाकर दिनांक 6/8/05 में निर्णय पारित करते हुए इस आवेदक की उपरोक्त कथित अपील इस बिंदु पर अस्वीकार कर दी गई कि आवेदक के द्वारा प्रस्तुत अपील उसकी तृतीय अपील है और संहिता की धारा-44 के अन्तर्गत केवल दो अपीलें प्रस्तुत करने का प्रावधान है तृतीय अपील के लिये कोई व्यवस्था नहीं है अस्तु आवेदक की अपील माननीय सदस्य राजस्व बोर्ड ग्वालियर द्वारा खारिज कर दी गई जिससे परिवेदित होकर यह पुनर्विलोकन आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष सविनय प्रस्तुत किया जा रहा है ।

29/8

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पुर्नविलोकन 1488/एक/2007 जिला–कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
3-1-17	यह पुर्नविलोकन आवेदक द्वारा राजस्व मण्डल के प्रकरण क्रमांक 893/चार/2003 अपील में पारित आदेश दिनांक 21.03.2003 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 51 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.03.2003 के विरूद्ध राजस्व मण्डल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी थी। जो आदेश दिनांक 06.08. 2005 से इस आधार पर निरस्त कर दी गयी कि आवेदक द्वारा तृतीय अपील प्रस्तुत की है, और संहिता में दो अपीले प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। राजस्व मण्डल के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा वर्तमान पुर्नविलोकन प्रस्तुत किया है। 3– पुर्नाविलोकन मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा न्यायालयो के उपलब्ध अभिलेखो का अवलोकन किया गया। 4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदक भनपुरा नं. 1 का विधिवत् नियुक्ति कोटवार है जिसके विरूद्ध ग्राम वासियो ने झूठे आरोप लगाकर तत्कालीन नायब तहसीलदार पहाड़ी के समक्ष शिकायत की गयी थी। जिसपर बिना जॉच किये आदेश दिनांक 02.02.1993 से निलंबित कर दिया गया। और बाद में विधिवत् जॉच किये बिना ही नौकरी से हटा दिया गया निलंबन अवधि के दौरान अनावेदक रामदास	

की अस्थायी कोटवार पद पर नियुक्ति कर दी। जिसके विरूद्व आवेदन ने अनुविभागीय अधिकारी कटनी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। जो आदेश दिनांक 28.06.1993 से स्वीकार कर प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया। तत्पश्चात् नायब तहसीलदार पहाडी द्वारा शिकायतो की विधिवत् जॉच की गयी और शिकायते झूठी पाये जाने पर आवेदक को पुनः कोटवार पद पर बहाल कर दिया। तथा पूर्व में जो नियुक्ति अनावेदक की अस्थाई कोटवार पद पर की गयी थी उसे रद्द कर दिया गया। यह आदेश दिनांक 26.07.1997 को पारित किया गया इसके विरूद्व अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी कटनी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। जो आदेश दिनांक 22.09.1998 से स्वीकार की गयी इसके विरूद्व आवेदक द्वारा अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जो पारित आदेश दिनांक 21.03.2003 से निरस्त कर दी गयी। इस आदेश के विरूद्व माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रकरण क्रमांक 893/चार/03 प्रस्तुत की गयी। जो माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 06.08.2005 से इस आधार पर निरस्त कर दी गयी। तृतीय अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान नहीं है जबकि न्यायालय को चाहिये था कि वह प्रकरण का निराकरण गुण दोषो पर करते न कि तकनीकी आधारो पर माननीय न्यायालय को अधिकार है कि वह निहित प्रावधानो के अनुसार अपील को पुनरीक्षण में परिवर्तित कर प्रकरण का निराकरण गुण दोषो के आधार पर किया जाना चाहिये था। ऐसी स्थिति में वर्तमान पुर्नविलोकन स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार पहाडी द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.1997 स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

5– अनावेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया गया कि माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में पूर्व जो आदेश पारित किया है विधिवत् एव सही है ऐसी स्थिति में पूर्व में पारित आदेश दिनांक 06.

08.2005 स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

6– उभयपक्ष के अभिभाषको द्वारा किये गये तर्को एवं उपलब्ध अभिलेखो के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.08.2005 से इस आधार पर निरस्त किया है। कि तृतीय अपील का प्रावधान नही हैं 1996 आर. एन. 365 में अभिनिर्धारित किया गया है, कि धारा 50 तथा धारा 44 (2) अपील चलने योग्य नहीं पायी गयी – मामला पुनरीक्षण अधिकारिता में सुना जा सकता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय को पुनरीक्षण के रूप में प्रकरण को सुने जाने का अधिकारिता थी। इस पर विचार किये बिना आदेश पारित किया गया है। जो वैधानिक दृष्टि उचित नहीं है इसके अतिरिक्त आवेदक के विरूद्व ग्रम वासियो द्वारा झूठे आरोप लगाकर नायब तहसीलदार पहाड़ी के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गयी थी। जिसपर बिना किसी विधिक जॉच के आवेदक को आदेश दिनांक 02.02. 1993 से निलंबित किये जाने का आदेश पारित कर दिया गया। और निलंबन अवधि में अनावेदक रामदास को अस्थाई कोटवार पद पर नियुक्ति कर दिया जिसके पश्चात् आवेदक द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी कटनी द्वारा अपने आदेश दिनांक 28. 06.1993 से अपील स्वीकार कर तहसील न्यायालय के आदेश को विधिवत् सम्मत् न पाते हुये निरस्त किया था और प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया था। कि वह शिकायतो की विधिवत् जॉच करें। जॉचोपरान्त नायब तहसीलदार पहाडी द्वारा आदेश दिनांक 26.04.1997 से पाया गया कि शिकायते विधिवत् नहीं थी और आवेदक को पुनः कोटवार पद पर बहाल् करते हुये अनावेदक की अस्थाई पद की नियुक्ति को रद्द किये जाने का आदेश पारित किया। उपरोक्त स्थिति पर अनुविभागीय अधिकारी कटनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.09.1998 में कोई विचार नही किया है।

तत्पश्चात् इसी आदेश को अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा स्थिर रखा गया है। तथा इस न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया है वह विधिवत् एवं उचित नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुर्नाविलोकन स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 893/चार/2003 अपील में पारित आदेश दिनांक 06.08.2005 एवं अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.03.2003 तथा अनुविभागीय अधिकारी कटनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.09.1998 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते है एवं नायब तहसीलदार पहाड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.1997 स्थिर रखे जाने के आदेश पारित किया जाता है।

सदस्य